रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230415
CG-DL-E-14102021-230415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943**
No. 594] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 अक्तूबर, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 737(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की धारा 119 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिमान्यकरण का शिथिलीकरण (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 119) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **धारा 119 के पहले परंतुक के अधीन वचनबंध का प्ररूप और उसके प्रस्तुत करने की रीति—** आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पङ के उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 11पच के अधीन यथाविनिर्दिष्ट, वित्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के पांचवे और छठे परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन वचनबंध का प्ररूप और उसके प्रस्तुत करने की रीति, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की धारा 119 के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) को लागू होगी ।

3. **धारा 119 के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन शर्तें—** आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पङ के उपनियम (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट, वित्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के पांचवे और छठे परंतुक के स्पष्टीकरण के खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए शर्तें, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की धारा 119 के पहले परंतुक के खंड (iv) को लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 120/2021/फा.सं. 370142/47/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by the first provisio to section 119 of Finance Act, 2012 (23 of 2012), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.−(1) These rules may be called the Relaxation of Validation (section 119 of the Finance Act, 2012) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Form and manner of furnishing undertaking under first proviso to section 119.-** The form and manner of furnishing undertaking under Explanation to fifth and sixth proviso to Explanation 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as prescribed under sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 11UE and rule 11UF of the Income-tax Rules, 1962, shall mutatis mutandis apply to clauses (i), (ii) and (iii) of the first proviso to section 119 of the Finance Act, 2012 (23 of 2012).

3. **Conditions under clause (iv) of first proviso to section 119.-** The conditions for the purposes of clause (iv) of the Explanation to fifth and sixth proviso to Explanation 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as prescribed under sub-rule (2) of rule 11UE of the Income-tax Rules, 1962, shall mutatis mutandis apply to clause (iv) of the first proviso to section 119 of the Finance Act, 2012 (23 of 2012).

[Notification No. 120/2021/ F. No. 370142/47/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.14 16:10:26 +05'30'